Ph. & Fax : 01364-233207 email :cdrudraprayag@gmail.com,
कार्यालय, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण शाखा, उत्तराखण्ड
पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक 3385 / वनभूमि / 121 दिनांक 22-08-2022

सेवा में,

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग,
रूद्रप्रयाग।

विषयः **नगरासू पेयजल योजना के निर्माण हेतु 0.1874 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।**
PROPOSAL No.- FP/UK/WATER/157192/2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक 195/12–1(2) दिनांक 21.07.2022 के सन्दर्भ में आप द्वारा अवगत कराई गई कमियों का निराकरण आख्या निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है।

क0सं0	कमियां	आख्या
1	परिवेश पोर्टल के पैरा – D (i) में अपलोड किये गये प्रतिवेदन में कहीं भी प्रभावित वन भूमि का क्षेत्रफल अंकित नहीं किया गया है और न ही चयनित वन भूमि के अतिरिक्त विकल्प का उल्लेख किया गया है। अतः प्रतिवेदन में चयनित भूमि का कुल प्रभावित क्षेत्रफल तथा अलग–अलग जैसे पेयजल लाइन, टैंक हेतु प्रभावित क्षेत्रफल आदि सम्बन्धित विवरण प्रतिवेदन में उल्लेख करते हुये बिन्दुवार संशोधित प्रतिवेदन अपलोड़ करते हुये हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।	प्रतिवेदन में संशोधन कर दिया गया है।
2	परिवेश पोर्टल के पैरा – D (ii) में वैकल्पिक संरेखण के स्थान पर चयनित संरेखण का टोपेशीट मानचित्र अपलोड किया गया है, जबकि पैरा– L additional information detail में अपलोड किये गये प्रपत्र –4, 8 एवं 9 में उल्लेख किया गया है कि परियोजना हेतु विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया, जिनका (1) क्षेत्रफल 0.35 है0 व प्रभावित वृक्षों की संख्या–10 एवं (2) क्षे0–2.28 है0 व प्रभावित वृक्ष 0 (शून्य) दर्शाया गया है, किन्तु वैकल्पिक स्थलों के नाम एवं लम्बाई नहीं दर्शाई गई है। अतः स्थिति स्पष्ट कर पैरा – D (ii) में वैकल्पिक संरेखण का मानचित्र अपलोड करते हुये हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।	योजना हेतु सर्वेक्षण के दौरान वैकल्पिक संरेखणों पर विचार किया गया, परन्तु वैकल्पिक संरेखण तकनीकि कारणों से उपर्युक्त नहीं पाए गए। सर्वथा उपयुक्त पाए गए संरेखण के अनुसार ही संयुक्त निरीक्षण कराया गया है, जो कि उपयुक्त पाया गया।
3	परिवेश पोर्टल के पैरा – L additional information detail के S. No.-12 में अपलोड किये गये बारचार्ट में परियोजना की कुल लम्बाई तथा आरक्षित एवं वन पंचायत भूमि में प्रभावित लम्बाई अलग–अलग नहीं दर्शाई गई है। केवल संकेत तालिका में क्षेत्रफल अंकित किया गया है। अतः बारचार्ट में परियोजना की सम्पूर्ण लम्बाई अलग–अलग दर्शाते हुये संशोधित बारचार्ट अपलोड करते हुये हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।	बारचार्ट में संशोधन करा दिया गया है।
	परिवेश पोर्टल के पैरा L additional information detail के S. No.-14 में अपलोड की गई प्रभावित वृक्षों की गणना सूची में दिनांक अंकित नहीं की गई है। अतः वृक्षों की गणना सूची में दिनांक अंकित कर संशोधित सूची अपलोड करते हुए हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।	दिनांक अंकित कर दी गई है।
	परिवेश पोर्टल के पैरा L additional information detail के S. No.-7, 26, 27 में अपलोड किये गये प्रपत्र–8 वैकल्पिक संरेखणों को निरस्त किये जाने का प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि "प्रस्तावित परियोजना हेतु विभिन्न उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया गया व वर्ततान विकल्प तकनीक्नि दृष्टि से एक ही विकल्प को सर्वदा उपयुक्त पाया गया, किन्तु प्रपत्र–26 भू–वैज्ञानिक आख्या अनुपालन प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि भू–वैज्ञानिक आख्या लागू नहीं है एवं प्रपत्र–27 भू–वैज्ञानिक की संस्तुतियों/सुझावों का अनुपालन किये जाने का प्रमाण पत्र में उल्लेख किया गया है कि विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा दिये गये सुझावों/संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा" उक्त भिन्नता की स्थिति स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र अपलोड करते हुये हार्ड	योजना में प्रयुक्त होने वाली पाइप लाइन से कोई भी मलबा या भूमि प्रभावित नहीं होती है। अतः भू–वैज्ञानिक की आख्या लागू नहीं होती है।

<table>
<tr><td></td><td>प्रति प्रस्तुत करें।</td><td></td></tr>
<tr><td>6</td><td>परिवेश पोर्टल के पैरा A (iii) में ऑनलाईन अंकित संक्षिप्त विवरण तथा तैरा D (i) में अपलोड किये गये प्रतिवेदन में नगरासू गांव की कुल लाभान्वित जनसंख्या–2284 अंकित की गई है, जबकि पैरा– L additional information detail के S. No.- 32 में अपलोड किये गये प्रपत्र–33 लाभान्वित जनसंख्या प्रमाण पत्र में कुल लाभान्वित जनसंख्या–1758 अंकित की गई है। स्थिति स्पष्ट कर संशोधित प्रपत्र अपलोड करते हुये हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।</td><td>परिवेश पोर्टल के पैरा A (iii) व D (i) में नगरासू गांव की लाभान्वित संख्या 2284 (डिजायन पोपुलेशन) है। जबकि प्रपत्र–33 में लाभान्वित जनसंख्या नगरासू की वर्तमान जनसंख्या है। प्रपत्र संशोधित कर संलग्न कर दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>7</td><td>परिवेश पोर्टल के पैरा– L additional information detail के S. No.- 36 में अपलोड किये गये प्रपत्र–42 एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन प्रमाण पत्र में आदेश संख्या –5–3/2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 की अंकित की गई है तथा धनराशि का आंकलन दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित दरों के अनुसार किया गया है। अतः संशोधित प्रमाण पत्र इस कार्यालय से प्राप्त कर अपलोड करते हुये हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।</td><td>प्रमाण पत्र सम्बनधित कार्यालय द्वारा दिया गया है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>परिवेश पोर्टल के पैरा – L additional information detail के S. No.- 10 एवं 11 में अपलोड किये गये लैण्ड शैड्यूल एवं लम्बाई चौडाई प्रमाण पत्र में आरक्षित वन धनपुर। क0सं0–1ब, 2 व 3 में प्रभावित होने वाली भूमि का क्षेत्रफल 0.1274 है0 एवं लम्बाई 4208. 00 मीटर तथा बीना वन पंचायत भूमि का क्षेत्रफल 0.06 है0 एवं लम्बाई 2000.00 मीटर अर्थात परियोजना की कुल लम्बाई 6208.00 मीटर तथा कुल प्रभावित क्षेत्रफल 0.1874 है0 दर्शाई गई है जबकि पोर्टल पर अपलोड की गई के0एम0एल0 फाईल में निम्न प्रकार अलग–अलग रंगो से सम्पूर्ण परियोजना की लम्बाई दर्शाई गई है–
<table>
<tr><th colspan="4">अपलोड के0एम0एल0 के अनुसार सम्पूर्ण परियोजना का विवरण</th></tr>
<tr><th>के.एम.एल. नाम</th><th>रंग</th><th>लम्बाई (किमी0)</th><th>क्षेत्रफल (है0)</th></tr>
<tr><td>Line</td><td>लाल</td><td>16.60</td><td>0.5000</td></tr>
<tr><td>CWR</td><td>लाल</td><td>Polygon</td><td>0.0274</td></tr>
<tr><td>Source</td><td>लाल</td><td>Polygon</td><td>0.0946</td></tr>
<tr><td colspan="2">Total</td><td>16.60</td><td>0.622</td></tr>
</table>
अतः उक्तानुसार अपलोड किये गये प्रमाण पत्रों एवं के0एम0एल0 फाईल मे दर्शाई गई लम्बाई एवं क्षेत्रफल की भिन्नता को दूर करते हुये संशोधित प्रमाण पत्र एवं के0एम0एल0 फाईल अपलोड कर हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।</td><td>वन भूमि हस्तान्तरण केवल 4208 मी0 लम्बाई एवं क्षेत्रफल 0.1274 है0 का ही होना है। अन्य लम्बाई निजी भूमि एवं सड़क की भूमि होने से हस्तान्तरण नहीं किया जाना है। के0एम0एल0 फाइल में सड़क भी दर्शित है।</td></tr>
<tr><td>9</td><td>परिवेश पोर्टल में पैरा – L additional information detail में अपलोड किए गए प्रपत्र–11 में बीना वन पंचायत की भूमि प्रभावित दर्शाई गई है तथा प्रपत्र–21 के साथ संलग्न अनापत्ति प्रमाण पत्र में ग्राम पंचायत बीना द्वारा अनापत्ति प्रदान की गई है, जबकि ऑनलाइन पैरा B-2.3 Village wise breakup में केवल ग्राम नगरासू की 0.1874 है0 भूमि प्रभावित होना दर्शाई गई है। स्थिति स्पष्ट कर भिन्नता को दूर करते हुए संशोधित प्रमाण पत्र अपलोड कर हार्ड प्रति प्रस्तुत करें।</td><td>पैरा B-2.3 Village wise breakup में संशोधन करा लिया गया है।</td></tr>
</table>

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(नवल कुमार)
अधिशासी अभियन्ता

पृ0सं0 एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :– सहायक अभियन्ता को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता